

# GALGOTIAS COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY GALGOTIAS INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY

GALGOTIAS COLLEGE OF PHARMACY

Date: 15/10/2024

### **NOTICE**

Regarding UP Govt. Scholarship and Fee Reimbursement Application Form, Session 2024-25 (Fresh /Renewal)

UP Govt. under its Social Welfare Schemes is offering scholarship to the needy students of UP domicile studying in UG, PG, and Diploma courses. The eligible students are advised to apply online for fresh/ renewal of scholarship on the UP Govt. Scholarship Portal https://scholarship.up.gov.in/ and submit hard coy with relevant documents in Registrar Office (E-115) latest by 12th November 2024. For the convenience of the students, the application process (Fresh & Renewal) is attached.

#### Eligibility Criteria:

- 1. Student should be permanent resident of UP and must have domicile certificate and category certificate in case of OBC/SC/ST, issued by the District Authorities of UP in his/her name.
- 2. The annual income of the parents from all sources should be up to Rs.2,00,000/- (Rs. Two Lakh only). In case of students belonging to SC/ST category, the Income limit of the Parents is Rs.2,50,000/- (Rs. Two Lakh Fifty Thousand only). The Income certificate in the name of your Father (Mother, if father is not alive) issued by the Distt. Revenue Authorities to that effect is essential for the purpose.
- 3. Student should have passed last given examination.
- 4. Student pursuing B. Tech course should not have applied for Scholarship for any graduation course in last years. (The students admitted by way of lateral entry on the basis of B.Sc. are eligible to apply)
- 5. Student pursuing MCA/ MBA should not have applied for scholarship in any post-graduation (professional) course in last years.
- 6. General/OBC category students admitted in B. Tech/B. Pharm-1st year must have obtained at least 60% marks in their INTERMEDIATE (12th) examination.
- 7. General/OBC category students admitted in MCA/MBA should have obtained minimum 55% marks in . their GRADUATION.
- 8. GENERAL/SC/ST category students should have been admitted through AKTU COUNSELLING (UPTAC)-2024 (for B Tech/B. Pharm/MBA/MCA) / JEECUP counseling-2024 (for D. Pharm). General/SC/ST category students admitted through Management Quota/Vacant Seats are not eligible for UP Govt scholarship.
- 9. Students who applied for a scholarship to UP Govt during the last year 2023-2024, but did not receive a scholarship, are required to apply for a scholarship renewal only. Do not apply as fresh.
- 10. The students admitted under FEE WAIVER QUOTA are not eligible for UP Govt scholarship.

Students belonging to Minority Category (Muslim / Sikh /Jain/ Christian /Neo Budh) are advised to apply under Minority category only. (Even if they are categorized under OBC category). Further students of minority category are strictly advised to apply only under one scheme (i.e.either under Central Govt. Merit cum Means Scheme for Minority Community (MOMA) or under UP Govt. scheme)

(Vinod Kumai

### **Documents Check List for Scholarship Form Submission**

The scholarship form along with **self-attested documents** should be arranged in the following order and submit (in Two sets) physically in the Registrar Office (Room No. 115, Block-E).

#### 1. Scholarship Form-2024-25

- Write your active Mobile Number, Admission No, Percentage of marks in qualifying exam (12<sup>th</sup>/Diploma/Graduation) on the top of scholarship form
- 2. Current Year Fee Receipt (Session 2024-25)
- 3. Hostel Fee Receipt: For in-campus hosteller only
- 4. Photo Copy of Seat Allottment Letter
- 5. Result of Entrance Examination-JEE-Main/CUET(UG)/CUET(PG)- as applicable
- 6. **Income Certificate in the name of Father/Mother (If father is not alive)** Date of issue should be after 01/04/2024
- 7. Caste Certificate (SC/ST/OBC) of the student-OBC Certificate should be issued after 01/04/2024
- 8. Domicile Certificate of the student
- 9. High School (10th) Certificate
- 10. Last Exam Passed Result (In case of renewal, submit previous year result i.e. 2023-24
- 11. Qualifying Exam Result:
  - Intermediate(12th) Marksheet for B.Tech/B.Pharm/D.Pharm-1st Year
  - Diploma marksheet for Lateral Entry to 2<sup>nd</sup> year
  - Graduation Marksheet for MBA/MCA students-1<sup>st</sup> year
- 12. Copy of Bank Pass Book (Account Number, Account Holder Name, Branch Address, IFSC Code, etc must be properly stated)
- 13. Copy of Aadhar Card
- 14. **Gap Affidavit,** if student admitted in this year, i.e. 2024-25 and he has passed qualifying exam, i.e. Intermediate/ Diploma/ Graduation prior to session 2023-24.
- 15. Attendance Undertaking
- 16. Student Affidavit and Father Affidavit

# छात्रों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

## 🥄 -छात्र क्या करें:-

- छात्रों हेतु आनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अपने प्रमाण पत्र आय/जाति/निवास प्रमाण पत्र ( आनलाइन जारी), पाठ्यकम की अनिवार्य वार्षिक नान रिफण्डेबिल शुल्क धनराशि ), आधार नम्बर आदि अभिलेख होना आवश्यक है।
- शासकीय, शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को जिनका प्रवेश निःशुल्क हुआ है उन छात्रों को फीशिप कार्ड पोर्टल से जनरेट कर संस्था में जमा कर प्राप्ति रसीद प्राप्त करना अनिवार्य है।
- हाई—स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण—पत्र में अंकित नाम, पिता का नाम, लिंग एवं जन्म तिथि का उसी तरह आधार कार्ड में भी अंकन होना आवश्यक है।
- नवीन छात्र छात्रवृत्ति पोर्टल पर आधार नम्बर का जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण (Demographic Authentication) (आधार नम्बर, नाम एवं जन्म तिथि का मिलान) करने के बाद ही छात्र अपने आवेदन पत्र को भरकर आनलाइन टेम्परेरी लाक कर सकेगा ।
- नवीन छात्र डिजीलाकर के माध्यम से ई-के0वाई0सी0 कर आधार नम्बर का जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण (Demographic Authentication) (आधार नम्बर, नाम एवं जन्म तिथि का मिलान) करने के बाद ही छात्र अपने आवेदन पत्र को भरकर आनलाइन टेम्पेरेरी लाक कर सकेगा ।
- नवीनीकरण तथा नवीन छात्र अपने मोबाइल नम्बर अंकित कर ओ०टी०पी० के माध्यम से सत्यापन करेंगे तथा छात्र द्वारा उपयोग किया गया मोबाइल नम्बर एक ही आवेदन पत्र में मान्य होगा।
- आधार नम्बर से सीडेड बैंक खाता एवं एन०पी०सी०आई० में मैपिंग अनिवार्य है। सीडिंग न होने पर छात्र का आवेदन पत्र पूर्ण नहीं हो सकेगा। इस कार्य को सम्बन्धित बैंक शाखा से अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा की स्थिति में ट्रांजेक्शन फेल होने की सम्भावना रहेगी। वित्तीय वर्ष-2024-25 में छात्रवृत्ति का भुगतान आधार नम्बर से सीडेड बैंक खाते में ही होगा।
- छात्र अपने आधार सीडेड बैंक खाते को संचालित रखें, न्यूनतम बैलेन्स बनाये रखें एवं खाते में धनराशि आने की अधिकतम लिमिट न लगी हो तथा हर 03 माह में बैंक खाते में ट्रांजेक्शन अवश्य करें ।
- छात्र अपना खाता इण्डिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खोल सकता है क्योंकि उक्त बैंक में खाता खोलते ही स्वतः आधार सीड हो जाता है तथा उक्त बैंक में छात्र का ट्रांजेक्शन फेल की सम्भावना नहीं होती है।
- छात्र अपना आवेदन आनलाइन करने के पश्चात एवं टेम्परेरी लाक करने से पूर्व अपना सम्पूर्ण विवरण यथा— हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट का रोल नम्बर, जाति/आय प्रमाण-पत्र का क्रमांक एवं आवेदन का क्रमांक, वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की न्यूनतम योग्यता, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम का प्रकार, अनुमोदित वार्षिक शुल्क की धनराशि, आवेदन पत्र में अंकित की गयी कैटेगरी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग) आदि का किया गया अंकन सावधानीपूर्वक जांच लें।
- सभी छात्र अपना आवेदन पत्र स्वयं भरें। आनलाइन आवेदन पत्र के लिये पासवर्ड स्वयं सृजित करें। छात्र यदि साइबर कैफें/ संस्था से आवेदन कर रहे हैं तो अपने सामने ही सभी प्रविष्टियों को आवेदन पत्र में भरवायें एवं जांच का

Anny Ows Sura

्रिपेन्ट लेकर स्वयं समस्त प्रविष्टियों की जांच कर लें तथा यदि कोई त्रुटि है तो उसको सुधार करने के उपरान्त ही जावेदन पत्र को आनलाइन सबमिट करें ।

- आवेदन पत्र सबिमट करने के उपरान्त तीन दिन बाद संस्था हेतु फाइनल प्रिन्ट ले सकेंगे, यदि आवेदन पत्र में जाति/आय/निवास प्रमाण-पत्र क्रमांक एवं आवेदन क्रमांक, आय तथा हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट के रोल नम्बर में कोई त्रुटि होगी तो उसे इन तीन दिनों में आपकी लागिन पर प्रदर्शित किया जायेगा। सही करने के उपरान्त (हाईस्कूल रोल नम्बर को छोड़कर) ही आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान को सबिमट (Submit) करने हेतु फाइनल प्रिन्ट लें एवं संस्थान से आवेदन पत्र जमा करने की पावती अवश्य लें।
- पाठ्यकम की अनिवार्य वार्षिक शुल्क (Non Refundable fee) के कालम में शिक्षण संस्थान से जानकारी करने के बाद ही वास्तविक फीस की धनराशि अंकित करें।
- छात्र प्रथम वर्ष में धनराशि न मिलने पर भी पूर्व आवेदन पत्र का अगली कक्षा में नवीनीकरण ही करें, न कि नवीन आवेदन पत्र भरें। छात्रों को नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र की कुछ अनिवार्य प्रविष्टियों को ही भरना है।
- सभी निजी क्षेत्र के संस्थानों में पाठ्यक्रम का प्रकार स्ववित्त पोषित ही रहेगा। शासकीय (GOVT) एवं शासकीय सहायता प्राप्त (GOVT AIDED) संस्थानों में पाठ्यकम, पाठ्यक्रम के प्रकार (नियमित (Regular) / स्ववित्त पोषित (SELF FINANCE) व पाठ्यक्रम के वर्ष का अंकन सही—सही ध्यानपूर्वक करें।
- छात्र / छात्रायें स्वयं का ई०-मेल आई०डी० व आधार नम्बर से लिंक स्वयं का मोवाइल नम्बर ही दें ।
- वर्तमान सन्न हेतु प्रचलित नियमावली, समय सारिणी, प्रदर्शित सूचनायें एवं अन्य विस्तृत जानकारी हेतु https://scholarship.up.gov.in पर समय—समय पर सर्च करें एवं वेबसाइट पर निरन्तर प्रदर्शित हो रहे आवश्यक निर्देशों का भली—भांति पालन करें एवं समय सारिणी में दी गयी समयाविध का उल्लंघन कदापि न करें।
- छात्र अपने आवेदन की स्थिति अपने लागिन एवं पासवर्ड के माध्यम से स्वयं देख सकते हैं। छात्रवृत्ति आवेदन संस्था द्वारा अग्रसारित करने / रिजेक्ट होने पर छात्र के मोबाइल पर एस०एम०एस०(SMS) भी जायेगा। संस्थान द्वारा आवेदन पत्र निर्धारित समयाविध में अग्रसारित होना आवश्यक है।

## 2-छात्र क्या न करें।

- शिक्षण संस्था में जमा करने के लिये आवेदन पत्र किसी अन्य व्यक्ति को न सौंपे। शिक्षण संस्थान में स्वयं जमा करें एवं पावती रसीद अवश्य प्राप्त कर लें।
- किसी दूसरे आवेदन पत्र में उपयोग किये गये मोबाइल नम्बर का पुनः प्रयोग करने पर छात्र का फाइनल प्रिन्ट मान्य नहीं होगा।
- अपने व्यक्तिगत विवरण/अभिलेख यथा—आधार नम्बर, हाईस्कूल का अनुक्रमांक व बैंक खाता संख्या तथा आवेदन हेतु सुजित पासवर्ड एवं अन्य कोई भी डाटा अथवा अभिलेख किसी से भी साझा (Share) न करें ।
- आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि का इन्तजार न करें ।
- अनुत्तीर्ण (Fail) छात्र किसी भी दशा में छात्रवृत्ति हेतु आवेदन न करें ।
- शिक्षण संस्थान में जमा करने हेतु आवेदन पत्र का फाइनल प्रिन्ट आउट बिना निकाले आवेदन पत्र भरा हुआ नहीं माना जायेगा। समय सारिणी में निर्धारित समयाविध में संशोधन करने के उपरान्त भी संस्थान में जमा करने हेतु

Anny Our J

तंशोधित फाइनल प्रिन्ट निकाल कर संस्था में जमा करने एवं संस्था द्वारा अग्रसारित करने के उपरान्त ही संशोधित ोवेदन पत्र मान्य होगा।

- छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/गलत प्रविष्टियां भरने पर पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा का ही होगा एवं आवेदन पत्र निरस्त हो जायेगा तथा छात्रवृत्ति अनुमन्य नहीं होगी। यदि छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन करते समय किसी अन्य छात्र/छात्रा का आधार नम्बर, हाई स्कूल रोल नम्बर, बैंक खाता, आय एवं जाति प्रमाण-पत्र तथा कोई अन्य अभिलेख प्रयोग किया हुआ पाया जाता है तो छात्र एवं संस्था के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- यदि छात्र का डाटा सन्देहास्पद श्रेणी में आ जाता है तो सन्देह के कारण का उत्तर साक्ष्यों सहित अपनी संस्था के माध्यम से आनलाइन देना होगा। जनपद स्तरीय अधिकारियों (जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी) को संस्थान के माध्यम से छात्रवृत्ति वेबसाइट पर प्रदर्शित निर्धारित समयाविध में आनलाइन उपलब्ध न कराये जाने पर अथवा दिये गये उत्तर/अभिलेखों से छात्र के सही होने के दावे की पुष्टि नहीं होने पर जनपदीय अधिकारियों द्वारा जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से निर्णय प्राप्त करते हुये डाटा डिजिटल हस्ताक्षर से अस्वीकृत (REJECT) कर दिया जायेगा।

• छात्रवृत्ति सम्बन्धी किसी भी समस्या के लिये कान्टेक्ट सेन्टर के दूरभाष संख्या 0522—3538700 (प्रातः 9:30 बजे से सायं 6:00 बजे तक अवकाश के दिनों को छोड़कर) पर कार्यालय अवधि में सम्पर्क कर सकते हैं।

> निर्दशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश।

Anny Ors